राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, पीपलदा
जिला–कोटा

* जाति प्रमाण–पत्र *

क्रमांक : RJ30/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/5120 दिनाक 17-07-2015

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी मधुबाला मीना पुत्री जोधराज मीना गांव/नगर ग्राम खेडलीदेव पोस्ट लुहावद तह. पिपल्दा जिला कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में **मीना (9)** जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार **अनुसूचित जनजाति** के रूप में मान्यता दी गई है:–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी मधुबाला मीना गांव/नगर ग्राम खेडलीदेव पोस्ट लुहावद तह. पिपल्दा जिला कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहां प्रयोग **साधारणत:** निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू/ई.जी./08-09/73710 दिनाक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण–पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध मे कोई विवाद होने पर प्रमाण–पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बधित दस्तावेजात जिले के सम्बधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण–पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अत. सभी कार्यो के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण–पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On–line Verification Section से ऑन–लाईन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार पिपलदा

Signature valid

Digitally signed by RADHA KISHAN NAGAR
Date: [illegible].17 11:14:0[illegible]
Reason: CM
Location: Rajasthan

00384965

1530067610086356

ई–मित्र ❖ ई–मित्र ❖ ई–मित्र ❖ ई–मित्र ❖ ई–मित्र ❖ ई–मित्र ❖ ई–मित्र ❖ ई–मित्र